

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी-2470

दिनांक:- 11/11/2013

कार्यवाही विवरण

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 150वीं बैठक दिनांक 31.10.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	150.1	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 147वीं बैठक दिनांक 25-26.09.2013, 148वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 एवं 149वीं बैठक दिनांक 15.10.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा क्रमशः परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 147वीं बैठक दिनांक 25-26.09.2013, 148वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 एवं 149वीं बैठक दिनांक 15.10.2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2.	150.2	खसरा नम्बर 785/88 मि. 89, मि., ग्राम-खोखावास, तहसील-सांगानेर, जयपुर में व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पार्किंग को संशोधित करवाते हुए विकासकर्ता/ आवेदकर्ता से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं संशोधित मानचित्र में प्रस्तावित पार्किंग अनुसार एफ.ए. आर. अनुज्ञेय किया जावे 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. मौका स्केच के अनुसार लगभग 8.55 मीटर से 8.70 मीटर चौड़ी भू-पट्टी पर सामने सड़क की भूमि पर चार दीवारी निर्मित है, जिसे हटवाया जाकर उपायुक्त जोन को कब्जा सम्भलवाया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
3.	150.3	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 8 व 37, जय	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत

↓ 

		जवान कॉलोनी, टौंक रोड़, जयपुर के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. पुराने निर्मित भवन को हटाए जाने बाबत् आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. सड़क सीमा में निर्मित चार दीवारी को हटवाया जाकर उपायुक्त जोन को कब्जा सम्भलवाया जावे। 4. बी.पी.सी. (बी.पी.) की बैठक दिनांक 01.10.2013 में लिए गए निर्णय के क्रम में बेसमेन्ट पार्किंग का प्रस्ताव नहीं दिया जाकर भूतल/स्टिल्ट पर पार्किंग प्रस्तावित की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
4.	150.4	भूखण्ड संख्या सी-16, महेश नगर, जयपुर के प्रस्तावित मिश्रित भू-उपयोग बैंक के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भूतल को स्वीकृत किया जावे तथा आवेदक से यह शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि वह बिना जविप्रा की अनुमति के प्रथम तल का निर्माण नहीं करेगा। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
5.	150.5	भूखण्ड संख्या 10, शिवराज निकेतन, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड में एक पुराना भवन भूतल पर निर्मित है, जिसे हटाने के सम्बन्ध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जाकर प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के</p>

			मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
6.	150.6	महिमा पनाश, खसरा नम्बर 312 से 315, 317, 319, 320, 321, ग्राम-चक गैटोर, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार 61765.30 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है, जो कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे। 5. प्रश्नगत प्रकरण में 90बी की कार्यवाही दिनांक 23.12.2009 से पूर्व में की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.08.2012 के अनुसार जिन योजनाओं में दिनांक 23.12.2009 से पूर्व में 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है उन पर अफॉडेबल हाउसिंग पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में आवेदक द्वारा EWS/LIG का प्रावधान नहीं दिया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
7.	150.7	निजी खातेदारी की खसरा नम्बर 1176,	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत

		ग्राम-भांकरोटा व खसरा संख्या 300 से 302, 173 से 178 एवं 182 से 186, ग्राम-हसमपुरावास, तहसील- सांगानेर, जयपुर के स्वीकृत संस्थागत भवन (डीपीएस स्कूल) के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि निर्मित संस्थागत भवन (डीपीएस स्कूल) का मौके पर निर्माण कार्य दिनांक 06.06.2013 को जारी मानचित्रानुसार है। अतः अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
8.	150.8	खसरा संख्या 4138, 4139 व 4140, ग्राम-चौमू, जयपुर के प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. भवन विनियम-2010 (संशोधित-2012) के बिन्दुसंख्या 10.1.15 के प्रावधान "सभी संस्थानिक परिसरों में भूखण्ड के अग्रभाग में 6 मीटर पीछे हटकर बाउण्डरी बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो" के अनुसार मानचित्र में अग्रभाग में 6 मीटर छोड़ते हुए बाउण्डरी प्रस्तावित की गई है, जिसके क्रम में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पहले बाउण्ड्रीवॉल को मौके पर 6 मीटर पीछे हटवाया जावे। 4. कॉलेज के भवन मानचित्र भवन विनियम के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय है एवं अन्य पैरामीटर्स जो कॉलेज के परिसर हेतु आवश्यक है, उसे सक्षम संस्था के निर्देशानुसार कॉलेज समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	150.9	भूखण्ड संख्या जी.एच. 3, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p>

			<p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.80 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.635 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.80 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <p>4. प्रकरण में उक्त भूखण्ड की 90 'बी' वर्ष 2009 से पूर्व में की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3 (77)नविवि/3/2010 पार्ट-I दिनांक 03.08.2012 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन योजनाओं की 90बी दिनांक 23.12.2009 से पूर्व में की जा चुकी है, उन पर अफॉडेबल टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर EWS/LIG का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10.	150.10	भूखण्ड संख्या 180, सेज योजना झाई, तहसील-सांगानेर, जयपुर के आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. बेसमेन्ट, स्टिल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p>

			<p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
11.	150.11	मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के उपयोग पर बेटरमेन्ट लेवी के सम्बन्ध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के उपयोग पर बेटरमेन्ट लेवी लिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.09.2013 के अनुसार "जिन प्रकरणों में आवेदन दिनांक 02.08.2013 से पूर्व प्राप्त हुये एवं सक्षम समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है किन्तु आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं करायी है, से विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2013 के अनुसार बेटरमेन्ट लेवी की गणना की जाकर राशि ली जावे" उक्त आदेश के क्रम में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) को दिनांक 15.11.2013 तक सभी मांग पत्र जारी किये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है।</p>
12.	150.12	अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित प्रकरण के सम्बन्ध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अधिवास प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तावित प्रकरणों को Tabular Form में भवन मानचित्र समिति (बीपी) के समक्ष Standing Agenda स्वरूप प्रस्तुत किया जावे।</p>
आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।			
13.	150.13	भूखण्ड संख्या-1 निजी खातेदारी योजना खसरा नम्बर-105 ग्राम - मानपुर देवरी में प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् लिया गया कि वर्तमान प्रावधानानुसार प्रत्येक तल पर एक आवासीय इकाई प्रस्तावित करते हुए विकासकर्ता/आवेदकर्ता से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। तदोपरान्त प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।</p>
14.	150.14	भूखण्ड संख्या डी-14, 14ए, एस ब्लॉक के सामने, लालकोठी योजना, जयपुर के	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय</p>

		प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रश्नगत प्रकरण में उक्त भूखण्ड का संस्थागत प्रयोजन अधिकतम एफ.ए.आर. 2.0 अंकित करते हुए लीजडीड जविप्रा द्वारा दिनांक 10.07.2012 को जारी की जा चुकी है। भवन विनियम के अनुसार मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक प्रस्तावित एफ.ए.आर. पर नियमानुसार राशि ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
15.	150.15	निजी खातेदारी के आवासीय फ्लैट्स भूखण्ड संख्या 4, खसरा नम्बर 205, 206, 209, ग्राम-सुखिया, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.861 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
16.	150.16	भूखण्ड संख्या 192, 193, 194, 195, पटेल नगर, ग्राम-कल्याणपुरा, तहसील-सांगानेर,	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय</p>


		जिला-जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.20 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 1.919 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.20 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
17.	150.17	खसरा संख्या-416, 417, 452, 453, 461 व 462 ग्राम दहमीकला अजमेर रोड जयपुर के फेज-II के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. संशोधित भवन मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
18.	150.18	खसरा नम्बर 388/2, ग्राम-हथरोई, तहसील-जयपुर, कालवाड़ रोड़, जयपुर के	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय</p>

		<p>प्रस्तावित हॉस्पिटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूखण्ड में से मौके पर एक 33 के.वी. की हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही है, जिसे आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे से हटवाये जाने के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. मौके पर एक पुराना भवन मुख्य सड़क (90.0 मीटर) के मध्य से 12.50 मीटर छोड़कर निर्मित है, जो कि सड़क सीमा में आता है, उस निर्माण को प्रस्तावित भवन निर्माण पूर्ण होने पर या अधिकतम एक वर्ष की अवधि में हटा लिया जावेगा, इस बाबत् शपथ पत्र लिया जावे। 3. सड़क मार्गाधिकार एवं जविप्रा के सुविधा क्षेत्र को छोड़ते हुए आवेदक द्वारा नवीन कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण करवाया जावे तथा सुविधा क्षेत्र का कब्जा उपायुक्त जोन को सम्भलवाया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में जविप्रा द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी की गई है एवं आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि मास्टर विकास योजना 2025 के खण्ड 4 की तालिका संख्या 10.2.2 के क्रम संख्या 9 के अनुसार अनुज्ञेय है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
19.	150.19	<p>भूखण्ड संख्या 650 सेज (सेटलमेन्ट) योजना ग्राम झांई तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लोअर बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट, स्टिल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद

			<p>का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
20	150.20	<p>खसरा नम्बर 231/1, ग्राम-भम्भोरिया, कालवाड़ रोड़, जयपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. पूर्व में विकासकर्ता द्वारा 52 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल 15773.78 वर्ग मीटर पर 0.32 ग्लोबल एफ.ए.आर. का उपयोग किया जा चुका है। शेष 48 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल 14560.41 वर्ग मीटर पर विकासकर्ता द्वारा आवासीय भवन मानचित्र प्रस्तुत किये है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

-10-


11/11/13

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 150वीं बैठक दिनांक 31.10.2013 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री अभय कुमार, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री बिष्णु कुमार मल्लिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री दीपक नन्दी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. श्रीमती नलिनी कठोटिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 7. श्री नीरज तिवाड़ी, अतिरिक्त मुख्य नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित:-

8. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री करन शर्मा, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।


11/11/13


अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

दिनांक:- 11/11/2013

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी- 2470

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/एलपीसी/भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


11/11/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)